20/2016/यू0ओ0-47/एक-6-2016-रा0-6-15(54)/2015

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

प्रेषक,

डी0के0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषय: राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद के ग्राम कौलारा कलॉ स्थित राजकीय आस्थान की भूमि (नान जेड0ए0) गाटा संख्या-823 में से रकबा 2.0050 हेक्टेयर भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को 90 वर्ष के पट्टे पर नि:शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-2385/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 01 फरवरी, 2016 तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद के ग्राम कौलारा कलॉ स्थित गाटा संख्या-823 (नान जेड0ए0), जो राजस्व अभिलेखों में सांडघर के नाम अंकित है, में से रकबा 2.0050 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नवत है, अपरिहार्य परिस्थितियों में जनहित में सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003 एवं गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट के तहत राज्यपाल महोदय जनपद आगरा में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग को 90 वर्ष के पट्टे पर नि:शुल्क दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

भूमि का विवरण

जनपद/तहसील	राजस्व ग्राम	भूखण्ड/गाटा संख्या	रकबा संख्या
1	2	3	4
आगरा/फतेहाबाद	कौलारा कलॉ	गाटा संख्या-823	2.0050 हेक्टेयर

(1) प्रश्नगत प्रस्तावित भूमि जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु प्रथमत: 90 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जायेगी, जिसे 30- 30 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का प्राविधान होगा।

(2) भूमि पर स्वामित्व राजस्व विभाग का ही बना रहेगा । इस भूमि का उपयोग जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। उक्त प्रयोजन समाप्त हो जाने पर या इससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर भूमि पुन: राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी और पट्टा स्वत: समाप्त माना जायेगा।

(3) पट्टेदार द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से भूमि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था में बन्धक रखने के पूर्व शासन की लिखित अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(4) पट्टा असंक्रमणीय होगा अर्थात पट्टेदार को पट्टा शुदा भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था/ संगठन आदि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा ।

(5) पट्टा विलेख को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जायेगा और इस हेतु स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा ।

(6) भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

(7) पट्टा विलेख का निष्पादन गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1895 एवं सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित नियमावली, 1987 यथा संशोधित नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकारी, आगरा द्वारा किया जायेगा ।

2- कृपया तद्नुसार प्राथमिकता पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डी0के0 सिंह)
सचिव।

संख्या- 20/2016/यू0ओ0-47(1)/एक-6-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा ।
4- जिलाधिकारी, आगरा ।
5- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।